न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—384/2013/75 (2013/00159)

1. चन्दरसिंह पुत्र रामसिंह,
2. गोपालसिंह पुत्र सम्पतलाल,
3. मदनलाल पुत्र मोहनलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1— श्रीमती बादामदेवी पत्नि मदनलाल, जाति महाजन, नि0रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3/2— नरेद्र कुमार पुत्र मदनलाल, जाति महाजन, नि0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
3/3— उत्तमचंद पुत्र मदनलाल, जाति महाजन, नि0 भीलवाड़ा ।
3/4— सुरेश पुत्र मदनलाल, जाति महाजन, नि0 शास्त्री नगर भीलवाड़ा,
3/5— श्रीमती कांतादेवी पुत्री मदनलाल, जाति महाजन, नि0 रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. राजूसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र मिलापचंद,
5. सुनील कुमार पुत्र सम्पतलाल,
6. श्रीमती विमलादेवी पत्नि भंवरसिंह,
समस्त जाति महाजन, निवासी रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हबीब पुत्र शफी खां, जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास, रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. सज्जनसिंह पुत्र मिलापचंद,
3. श्रीमती कंचनदेवी पत्नि सम्पतलाल,
4. राकेश कुमार पुत्र सम्पतलाल,
5. श्रीमती शकुंतला पुत्री सम्पतलाल,
6. श्रीमती सुशीला पुत्री सम्पतलाल,
7. श्रीमती बीना पुत्री सम्पतलाल,
8. श्रीमती अनिता पुत्री सम्पतलाल,
9. अनिल कुमार पुत्र भंवरसिंह,
समस्त जाति महाजन, नि0 रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेटस

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।
11. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 18.6.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 33/1989 .

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0 जैन एवं श्री उत्तमप्रकाश आमेटा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 10 व 11.

निर्णय

दिनांकः—7.1.2019

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 18.6.2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 हबीब ने न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर में राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अंतर्गत एं प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि भूमि खसरा नंबर 4425 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा ग्राम रामसर पर प्रार्थी का विगत 25 सालो से निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा कैम्प मुख्यालय रामसर में दिनांक 7.8.2003 को राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके प्रार्थी की जानकारी हुए बिना उपरोक्त आराजी का नियमन अपने नाम करवा लिया और नामांतकरण संख्या 74 के द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली । उपरोक्त नियमन आदेश आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जांच कराये गैर कानूनी रूप से किया गया है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है जिससे उपरोक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 18.6.2013 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 4425 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा बाबत् पारित आवंटन आदेश दिनांक 30.12.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के विवादित भूमि के संबंध मे पुनः मौका एवं रिकार्ड की जांच करने हेतु तथा तद्नुसार आवंटन कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस को पक्ष में किया गया नियमन राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अंतर्गत नहीं था एव ंना ही इससे पूर्व आवंटन हेतु प्रचलित नियमों के अंतर्गत ही था ऐसी स्थिति में रेस्पो संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आवंटित भूमि पर उसका 25 सालो से कब्जा होना बताया है जो साक्ष्य के अभाव में स्वीकार्य नहीं है इसके अतिरिक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा तर्क के तौर पर माना भी जावे तो अतिक्रमी को किसी प्रकार का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, कारण कि प्रथम तो अपीलांटस का प्रकरण भू—संशोधन की कार्यवाही जो अवशेष रही उससे संबंधित था तथा इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष बहस में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के संबंध में पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में सुनवाई के बाद वादी/अप्रार्थीगण के हक में दिनाक 31.12.2007 को डिक्री किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 हबीब ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की जो प्रकरण सख्या 42/2009 पर दर्ज होकर दिनांक 6.2.2009 को अस्वीकार की गई है जिसके निर्णय में भी न्यायालय हाजा ने

विवादित आराजी सख्या 4425 पर मालिकाना हक व कब्जे संबंधित कोई दस्तावेज रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में होना नहीं माना है । रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त समस्त तथ्य छिपाकर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था । बहस में आगे कथन किया कि भू–संशोधन में अवशेष रहे प्रकरणों के निस्तारण हेतु परीक्षण कर अपीलांटस के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन किया गया है जो विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में वाद के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 में कब्जा अपीलांटस का माना गया है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि पर 25 सालों से कब्जा होने का कथन असत्य प्रतीत होता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि नियम 14 (4) के तहत अपीलांटस के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यो को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 18.6.2013 अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1150, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1081, आर0बी0जे0 2005 (12) पेज 113, आर0बी0जे 1995 पेज 780, अर0आर0टी0 2001 (1) पेज 195, डी0एन0जे0 2018 (2) पेज 726 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश क्षैत्राधिकार से परे होने से शून्य है जिसक विरूद्ध अपील पेश करने की कोई समय सीमा नहीं है । अपीलांटस को उनके अधिवक्ता ने निर्णय की सूचना नहीं दी एवं उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 16.8.2013 को गांव वालों से होने पर अजमेर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया किन्तु कर्मचारियों की हड़ताल एवं अधिवक्ताओं की हड़ताल होने से प्रतिलिपि दिनांक 30.8.2013 को प्राप्त हुई लेकिन वकीलों की हड़ताल होने से हड़ताल समाप्त होने पर अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आवंटित भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 का पिछले 25 सालों से कब्जा काश्त चला आ रहा है न कि आवंटी अपीलांटस का । आवंटन सलाहकार समिति ने कब्जे एवं मौके की जांच किये बिना आवंटन आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् नहीं पाये जाने पर अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्त कर पुनः जांच हेतु अधी0न्याया0 को प्रकरण प्रतिपेषित किया है जो सही है । अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अधी0नयया0 में प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त मानकर कब्जा हटाने का निवेदन किया है । विद्वान वकील ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के नियमन के समय आवंटी रामसिंह की मृत्यु हो चुकी हो चुकी थी इस प्रकार उक्त आवंटन मृतक के पक्ष में पारित किये जाने से भी निरस्त योग्य था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 10 व 11 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांटस को भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणों के तहत नियमन की गई थी तथा भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणों में सीधे ही खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 4425 रकबा 4–6–0 बीघा एवं खसरा नंबर 4431 रकबा 2 बीघा भूमि दिनांक 7.8. 2003 को ग्राम रामसर मे आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर मोहनलाल, भंवरसिह, राजसिंह, सज्जनसिंह पुत्रगण मिलापचंद, नि0 रामसर के पक्ष में भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के संबंध में जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/भूसंशोधन 13740–45 दिनांक 19.12.2002 के निर्देशानुसार भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणों की गहनता से परीक्षण कर निस्तारण हेतु नियमन आदि के लिये उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को आदेश पत्रांक/उखन/राजस्व–कैम्प/2022/ 110 दिनांक 20.12.2002 की पालना में नियमन की गई यानि अपीलाधीन भूमि का नियमन उपरोक्त व्यक्तियों के पक्ष में भू–संशोधनों के अवशेष प्रकरणो के निस्तारण हेतु राज्य सरकार के आदेशों में जारी परिपत्र से नियमन हेतु कमेटी को प्रेषित किया गया था । अपीलाधीन भूमि का नियमन भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत बने नियम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमन नियम 1970 के तहत नहीं होकर भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणो के निस्तारण के क्रम में किया गया है इस कारण अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) 1970 संधारण योग्य ही नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 38/05 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांटस द्वारा यह कथन किया था कि रेस्पो0 हबीब द्वारा अपीलांटस की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिस पर अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 के विरूद्ध एफ0आई0आर0 संख्या 276/03, 274/1999, 52/1999 संबंधित थाने में दर्ज कराई थी । अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर, तनकियात कायम कर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लेने के उपरांत गुणावगुण पर अपीलांटस का वाद दिनांक 31.10.2007 को डिक्री किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 29/2008/223 प्रस्तुत की जिसे भी न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 6.2.2009 को गुणावगुण पर आवंटी/अपीलांटस को विवादित भूमि का खातेदार मानते हुए रेस्पो0 हबीब की अपील खारिज की है । न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 हबीब द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में अपील डिक्री टी0ए0संख्या 6463/2009 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है । इस संबंध में यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील वाद की निरन्तरता में मानी जाती है । इस संबंध में हम वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014 (2) आर0आर0टी0 पेज 1150 एवं 2017 (1) आर0आर0टी0 पेज 480 में प्रतिपादित सिद्धांत से सहमत है कि राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नियम 14 (4) राजस्थान

भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) 1970 के तहत का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं रहता है एवं खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है । हम अपीलांटस अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2018 (2) पेज 726 एवं 2003 (2) आर0आर0टी0 पेज 921 में प्रतिपादित सिद्धांत की खातेदारी दिये जाने के उपरांत आवंटन नियम 14 (4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि फ्रॉड अथवा मिस–रिप्रजेटेंशन सिद्ध नहीं किया जावे । हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली परिलक्षित नहीं होती है कि अपीलांटस के पूर्वज आवंटी द्वारा आवंटन मे कोई फॉड अथवा मिस रिप्रजेटेशन किया गया हो । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) 1970 के तहत संधारण योग्य नहीं होने के बावजूद एवं अपीलांटस के पूर्वजों को खातेदारी प्राप्त होने के बाद भी एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद डिक्री होने के बावजूद एवं वर्तमान में प्रकरण मान0 मण्डल में विचाराधीन होन के बावजूद अधी0न्याया0 ने अविधिक तौर पर रेस्पो0 सख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस के पूर्वजों के पक्ष में पारित नियमन आदेश निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर का निर्णय दिनांक 18.6.2013 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस के पूर्वजों के पक्ष में पारित नियमन आदेश दिनांक 7.8. 2003 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 7.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर